कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून।

E-Mail ID-deoc.pgrc.ddn@gmail.com/Phone-0135-2726066

संख्याः– 4870/आ0प्र0प्राधि0 /ई–निविदा/2020–21 दिनांकः– 9,नवम्बर 2020

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के शासनादेशों के अनुपालन में वर्ष, 2020–21 हेतु शीतकालीन सत्र से पूर्व तैयारियों के लिये राज्य में शीतलहरी के दौरान निराश्रित एवं असहाय/गृहविहीन व्यक्तियों को ठण्ड के प्रकोप से बचाने के साथ–साथ वर्तमान में कोविड–19 (कोविड केयर सेन्टर) के दृष्टिगत ऊनी कम्बल की अधिप्राप्ति हेतु उत्तराखण्ड GST पंजीकृत, अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मो (एकल/साझेदार) से ऊनी कम्बल क्रय हेतु ई–निविदा।

ई–निविदा आवदेन हेत रू0 500/– (पांच सौ रूपये) सहित।

आगामी शीतकालीन सत्र से पूर्व तैयारियों के लिये राज्य में शीतलहरी के दौरान निराश्रित एवं असहाय/गृहविहीन व्यक्तियों को ठण्ड के प्रकोप से बचाने के साथ–साथ वर्तमान में कोविड–19 (कोविड केयर सेन्टर) के दृष्टिगत ऊनी कम्बल की अधिप्राप्ति हेतु व्यवस्था हेतु GST पंजीकृत, अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मों (एकल/साझेदार) से वित्तीय वर्ष 2020–21 माह नवम्बर 2020 के लिये निम्न ई–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत वेबसाईट www.uktender.gov.in/dehradun.nic.in के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

01.	वेबसाईट www.uktender.gov.in/dehradun.nic.in पर ई–निविदा उपलब्ध होने की तिथि	**10 नवम्बर 2020**
02	उक्त निविदा हेतु इच्छुक ई–निविदा–दाताओं के साथ प्री–बिड मीटिंग	**17 नवम्बर, 2020 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर देहरादून**
03	फर्म द्वारा ई–निविदा वर्ष 2020–21 सम्बन्धी प्री'–बिड में पृच्छा के सम्बन्ध में इच्छुक ई–निविदाताओं द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.uktender.gov.in पर उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	**20 नवम्बर, 2020 समय सायं 04:00 बजे तक**
04.	निर्धारित नियम–शर्तों/निर्देशों के अनुसार तकनीकी ई–निविदा, ब्लेक लिस्टेड न होने आदि से संबंधित शपथ–पत्र के साथ–साथ वेबसाईट में अपलोड ई–निविदा आवेदन शुल्क और धरोहर धनराशि (EMD) का अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट मूलप्रति (Original Copy) से संबंधित सील्ड लिफाफा जिसके शीर्ष में **''ऊनी कम्बल आपूर्ति धरोहर धनराशि लिखा हो''** लिखा होना चाहिए को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कलेक्ट्रेट परिसर, देहरादून में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय।	**27 नवम्बर, 2020 अपरान्ह 3:00 बजे तक**
05.	निविदा समिति/अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई–निविदा की तकनीकी निविदा खोले जाने तथा नियमानुसार तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन आदि हेतु तिथि और समय	**28 नवम्बर 2020 अपरान्ह 3:00 बजे**
06.	तकनीकी ई–निविदा में सफल निविदा–दाताओं की नियमानुसार वित्तीय ई–निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	**28 नवम्बर, 2020 सांय 05:00 बजे**

Annexure-2

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के शासनादेशों के अनुपालन में वर्ष, 2020–21 हेतु शीतकालीन सत्र से पूर्व तैयारियों के लिये राज्य में शीतलहरी के दौरान निराश्रित एवं असहाय/गृहविहीन व्यक्तियों को ठण्ड के प्रकोप से बचाने के साथ–साथ वर्तमान में कोविड–19 (कोविड केयर सेन्टर) के दृष्टिगत ऊनी कम्बल की अधिप्राप्ति हेतु GST पंजीकृत, अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मो (एकल/साझेदार) से ऊनी कम्बल क्रय करने हेतु तकनीकी ई–निविदा का सार पत्रः–

1	फर्म का नाम	
2	फर्म का पता	
3	फर्म का स्वरूप	
4	GST पंजीकरण संख्या एवं GSTIN	
5	फर्म आदि का स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर)	
6	फर्म/निविदाता द्वारा विगत 03 वर्षों का सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभाग में ऊनी कम्बल उपलब्धि कराने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र :– (प्रति संलग्न करें)	
7	ब्लेक लिस्टेड न होने आदि से संबंधित अपेक्षित शपथ–पत्र संलग्न करें:–	
8	वर्ष–2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में जमा आयकर रिटर्न का विवरण (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)	
9	धरोहर की जमा राशि (EMD) का विवरणः– (बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद संख्या, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें)	
10	निविदा फार्म हेतु निर्धारित शुल्क का विवरणः– (बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आदि की संख्या, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें)	
11	संलग्नकों की संख्याः–	

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि ई–निविदा के लिए निर्धारित प्रस्तर–1 से 34 तक में उल्लिखित नियम/शर्तों को भली–भॉति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। ई–निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्ते स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ई–निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर........................

पूरा नाम...

पूरा पता...

फर्म की मुहर यहां लगाई जाय।

फोन/फैक्स नं0...मोबा0नं0.............................. पर

ई–मेल आई.डी. –

Annexure-1

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के शासनादेशों के अनुपालन में वर्ष, 2020–21 हेतु शीतकालीन सत्र से पूर्व तैयारियों के लिये राज्य में शीतलहरी के दौरान निराश्रित एवं असहाय/गृहविहीन व्यक्तियों को ठण्ड के प्रकोप से बचाने के साथ–साथ वर्तमान में कोविड–19 (कोविड केयर सेन्टर) के दृष्टिगत ऊनी कम्बल की अधिप्राप्ति हेतु GST पंजीकृत, अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मो (एकल/साझेदार) से ऊनी कम्बल क्रय करने हेतु तकनीकी ई–निविदा के साथ अपलोड संलग्नकों की चैक लिस्टः–

क्र0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	तकनीकी ई–निविदा का सारॉश ANNEXURE-1	
2.	GST पंजीकरण संख्या/GSTIN नम्बर से सम्बन्धित अभिलेख।	
3.	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) का PAN Card की प्रति ।	
4.	निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क 500.00 रु0 बैंक ड्राफ्ट मूल में दिनांक 27 नवम्बर 2020 को अपरान्ह 03.00 बजे तक जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र कलेक्ट्रेट, देहरादून में प्रस्तुत करें एवं स्कैन कॉपी ऑन लाईन अपलोड करें।	
5	फर्म (एकल,स्वयं/साझेदारी) का कम्बल आपूर्ति से सम्बन्धित कार्य के अनुभव का फर्म के लैटरपैड पर स्वहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र।	
6	वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में जमा आयकर रिटर्न की रसीद की फोटो स्टेट कॉपी जिस पर निविदा–दाता के द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हों।	
7	निविदा अभिलेख के मूल्य से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं मूल कॉपी अपेक्षानुसार प्रस्तुत करें।	
8	प्रस्तुत निविदा के अनुसार EMD से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद की स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं मूल कॉपी अपेक्षानुसार प्रस्तुत करें।	
9	फर्म (एकल, स्वयं/साझेदारी) आदि के ब्लेक लिस्टेड न होने आदि के सम्बन्ध में वांछित शपथ–पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं मूल कॉपी अपेक्षानुसार प्रस्तुत करें।	
10	निविदा के अभिलेख (Tender Document) की प्रति।	

हस्ताक्षर.......................

पूरा नाम..

पूरा पता..

फर्म की मुहर यहां लगाई जाय। फोन/फैक्स नं0..मोबा0नं0.............................. पर

ई–मेल आई.डी. –

—: ई—निविदा—दाताओं के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्तें :—

1. ई—निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नही होगी नियम व शर्ते के अनुरूप ई—निविदा अपलोड न किये जाने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2. ई—निविदादाता को पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति सलंग्न कर अपलोड की जानी होगी।
3. ई—निविदादाता का GST पंजीकरण अनिवार्य हें। पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करनी होगी।
4. ई—निविदादाता का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह आपूर्ति किये जा रहे कम्बलो के देयता इत्यादि औपचारिकतायें आपूर्ति से पूर्व सुनिश्चित कर लें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जायें।
5. ई—निविदादाता को 100.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो को इस आशय से प्रस्तुत करना होगा कि ई—निविदादाता का किसी कार्यालय/संस्था/संगठन/फर्म में काली सूची में नाम अंकित नही है। फर्म आदि ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है। किसी भी सरकारी विभाग/कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई विधिक विवाद नहीं है। तकनीकी ई—निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था, छिपाई नहीं गई हैं।
6. ई—निविदादाता निविदा के प्रारूप—1 के साथ जमानत धनराशि रू0 15000/— (पन्द्रह हजार रूपये) का जमा राशि रसींद (FDR) बैंक ड्राफ्ट जो **अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून** के नाम से बन्धक हो को अनिवार्य रूप से सलंग्न करनी होगी जो निविदा की अवधि समाप्त उपरान्त सम्बन्धित बैंक को मुक्त करने हेतु मूल मे प्रेषित की जाएगी Work Order से पूर्व सफल निविदादाता को 15000/—(पन्द्रह हजार रूपये) की धरोहर राशि **अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून** के पक्ष मे बन्धक करनी होगी।
7. ई—निविदा की निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
8. ई—निविदा स्वीकृत होने पर निविदा में उल्लिखित दर पर ही ऊनी कम्बल उपलब्ध करना होगा।
9. ऊनी कम्बल उपलब्ध कराने के उपरान्त जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून द्वारा प्राप्त कम्बलो की प्रविष्टियां स्टाक रजिस्टर में अंकित कर विभागीय अधिकारियों/कार्मिको द्वारा सत्यापित की जायेगी तत्पश्चात् बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
10. ऊनी कम्बल के बिलों पर आयकर एवं जी0एस0टी0 के नियमों के अनुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 स्रोत पर कटौती की जायेगी।
11. ई—निविदादाता द्वारा संतोषजनक सेवायें नही दिये जाने अथवा विशेष परिस्थिति में अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार/आंशिक संशोधन करने के समस्त अधिकार, जिलाधिकारी, देहरादून को निहित होंगे ऐसी स्थिति में निष्पादन धरोहर राशि को प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
12. अनुबन्ध किये जाने के पश्चात् कम से कम 12 माह (01 वर्ष) की अवधि तक वैद्य होगी जिसमें कोई वृद्धि आलोच्य अवधि में नही होगी।
13. ई—निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास DSC (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य है।

14. निविदा–दाता फर्म का GST पंजीकरण होना अनिवार्य होगा पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति, जिसमें पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति भी हो, ई–तकनीकी निविदा के साथ उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

15. निविदा–दाता द्वारा तकनीकी बिड ANNEXURE-2 में एवं वित्तीय ई–निविदा केवल निर्धारित प्रारूप BOQ (ANNEXURE-3) में ही आनलाईन प्रस्तुत करनी होगी, अन्य किसी भी प्रारूप आदि पर वित्तीय ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। तकनीकी ई–निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ विभागीय ई–निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

16. उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त ई–निविदाओं की तकनीकी निविदाओं को, दिनांक 28 नवम्बर 2020 को सांय 5:00 बजे निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा, उपस्थित निविदा–दाताओं के समक्ष खोला जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी ई–निविदाओं का अधिकृत सक्षम अधिकारियों के द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा। किन्तु यदि तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि और समय पर कोई निविदा–दाता उपस्थित नहीं होगा तो निविदा समिति द्वारा नियमानुसार तकनीकी निविदा खोले जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही समय पर सम्पादित की जायेगी। निविदा–दाताओं की अनुपस्थिति में तकनीकी निविदा न खोले जाने का कोई आधार नहीं होगा।

17. वित्तीय वर्ष– 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति ई–तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

18. निविदा के साथ धरोहर (EMD) के रूप में 15000/– (पन्द्रह हजार रू0) की धनराशि बैंक ड्राफ्ट, या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, और **अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून** के पक्ष में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।निविदा के साथ अपेक्षित धरोहर की धनराशि अपेक्षानुरूप प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

19. धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या अपेक्षानुसार अन्य जो भी हो, की फोटो स्टेट स्वप्रमाणित प्रति तकनीकी ई–निविदा के साथ में वेबसाईट में अपलोड करनी होगी और इसकी मूल प्रति जिसके पृष्ठ भाग पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर किया गया हो, को ई–तकनीकी निविदा के लिफाफें में रखते हुए लिफाफे के शीर्ष पर **''ऊनी कम्बल आपूर्ति धरोहर धनराशि लिखा हो''** और फर्म का पूरा नाम और पता भी स्पष्ट अंकित किया गया हो दिनांक 27 नवम्बर 2020 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय कलेक्ट्रेट देहरादून में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20. निर्धारित तिथि, समय पर निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा ई–तकनीकी निविदाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा–दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा–दाताओं की ही यथा समय जिलाधिकारी, देहरादून के निर्देशानुसार वित्तीय ई–निविदाएं खोली जायेगी। तकनीकी रूप से अनर्ह पाए गए निविदा–दाताओं की वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जायेंगी।

21. **L1** में वर्गीकृत फर्म को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनत्तम दर के आधार पर आगणित धनराशि का 10 प्रतिशत की धनराशि एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, कमर्शियल बैंक की फिक्स डिपोजिट, सावधि जमा रसीद के द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति **(Performance Security)** के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि 5–5% के दो अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट अथवा सावधि जमा रसीद, जिस किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किया गया हो प्रस्तुत करनी होगी। कार्यादेश के अनुसार सन्तोषजनक आपूर्ति के

पश्चात 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि शीघ्र लौटा दी जायेगी शेष 5 प्रतिशत की धनराशि सन्तोषजनक कार्य की समाप्ति के पश्चात ही यथा समय लौटाई जायेगी।

22. फर्म आदि के लिखित अनुरोध पर उसकी निविदा धरोहर की धनराशि (EMD) को कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कदाचित कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि, धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा।

23. ई–वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा (Item-Wise) प्राप्त न्यूनतम दरों के अनुरूप एल0–01 में वर्गीकृत फर्म आदि के द्वारा, कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का लिखित/मौखिक अनुरोध किया जाता है, या निर्धारित तिथि, समय तक अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा नहीं की जाती है, या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से बाहर होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

24. निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–01 में वर्गीकृत फर्म को कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्धारित मात्रा में अपेक्षित सामग्री उपलब्ध न कराने पर संबंधित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए Liquidated Damage के रूप में कार्यादेश के अनुरूप अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा, जो कार्यपूर्ति प्रतिभूति की जब्त की गई धनराशि के अतिरिक्त होगी। विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन 2000.00 (दो हजार) की धनराशि पैनल्टी के रूप में लागू होगी जो अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में विभाग, फर्म आदि के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतन्त्र होगा।

25. तकनीकी ई–निविदा के रूप में निम्नलिखित अभिलेखों आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मुहर भी लगी हो तथा फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किए गए हों ANNEXURE-1 पर सांराश सहित स्केन कर ई–तकनीकी निविदा के रूप में आन लाईन अपलोड की जानी चाहिएः–

(1) GST सम्बन्धी स्वप्रमाणित अभिलेख।

(2) फर्म (एकल/साझेदार) आदि का पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्वच्छ फोटोस्टेट प्रति।

(3) सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त सामग्री आपूर्ति का फर्म के लैटरपैड पर स्वप्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।

(4) ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र मूल में (तकनीकी ई–निविदा के साथ स्केन कापी अपलोड की जायेगी तथा मूल प्रति बन्द लिफाफे में अपेक्षानुसार प्रस्तुत करनी होगी।)

(5) वित्तीय वर्ष–ं 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

(6) EMD के रूप में 15000/– (पन्द्रह हजार रू0) की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद।

(7) निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की स्व प्रमाणित छाया प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म (एकल/साझेदार) आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

(8) निविदा फार्म हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/–का Non-Refundable बैंक ड्राफ्ट तकनीकी ई–निविदा के साथ स्केन कापी अपलोड की जायेगी तथा मूल प्रति बन्द लिफाफे में अपेक्षानुसार प्रस्तुत करनी होगी।

(9) तकनीकी निविदा के रूप में हार्ड कापी में निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप में शील्ड लिफाफे में दिनांक 27–11–2020 दिन अपरान्ह 3:00 बजे तक आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय कलेक्ट्रेट, देहरादून में प्रस्तुत किये जायेंगे–

क– निविदा शुल्क से सम्बन्धित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट।

ख– धरोहर की धनराशि (EMD) से सम्बन्धित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद (किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किया गया हो)

ग– फर्म के ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र।

26. निविदा की शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म आदि को एक माह पश्चात अथवा निविदा की वैधता समाप्ति के पश्चात जिलाधिकारी, देहरादून के निर्देशानुसार ही उनकी कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।

27. देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।

28. कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित समयान्तर्गत अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति की जानी नितान्त आवश्यक होगी, विलम्ब से आपूर्ति किये जाने की दशा में आपूर्ति आदेश को निरस्त समझा जायेगा और सम्बन्धित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुए ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

29. निविदा–दाता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर ई–निविदा के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत की गई है, उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख (ई–तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित है) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। तकनीकी ई–निविदा के रूप में अपलोड किए गए कोई भी अभिलेख केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही सुस्पष्ट और साफ पठनीय होने चाहिए।

30. अन्तिम रूप से L1 में वर्गीकृत फर्म के साथ नियमानुसार अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की तिथि से निविदा की वैधता एक वर्ष की होगी किन्तु वैधता की अवधि घटाने और बढ़ाने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

31. ई–निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं यथा स्थान स्पष्ट पठनीय लेख में हों एवं तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए गए वांछित सभी अभिलेख क्रमबद्ध रूप से संलग्न किए गए हों। केवल वही अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए जांय जो इस निविदा के माध्यम से वांछित हों अनावश्यिक और अवांछित कोई भी अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड न किए जाये।

32. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का जिलाधिकारी देहरादून/अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी, देहरादून का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

33. फर्म/निविदाता द्वारा विगत 03 वर्षों का सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभाग में ऊनी कम्बल उपलब्धि कराने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

34. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय देहरादून, मान्य होगा।

विनिर्देश

क्र0	वस्तु का नाम	विवरण / वजन	संख्या	दर प्रति कम्बल रू0 में (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
1	Mink Woolen Blankets	Made in India Single Bed Woolen Blanket Std. Size/1.3 kg (±3kg)	**700**	
2	Mink Woolen Blankets	Made in India Single Bed Woolen Blanket Std. Size/1.5 Kg (±3kg)	**700**	
3	Mink Woolen Blankets	Made in India Single Bed Woolen Blanket Std. Size/2.0 Kg (±3kg)	**700**	
4	Mink Woolen Blanklets	Made in India Single Bed Woolen Blanket Std. Size/ 2.5 Kg (±3kg)	**700**	